डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाबता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**

इजलास **श्री जी0 एल0 मीना (R.A.S.)**

किशोरीलाल पुत्र श्री अन्तराम आयु 65 साल जाति वैश्य निवासी कस्बा बाडी तह0 बाडी

बनाम

सुभाषचन्द पुत्र बैनीराम उम्र 48 साल जाति वैश्य निवासी मौहल्ला शीशगरान कस्बा बाडी तह0 बाडी

पवन कुमार बंसल पुत्र चन्द्रभान बंसल उम्र 36 साल जाति वैश्य निवासी फरसा कालौनी बाडी तह0 बाडी

पवन कुमार मित्तल पुत्र हुब्बलाल मित्तल जाति वैश्य निवासी कमला नगर आगरा जिला आगरा

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 बाडी लैण्ड होल्डर

दावा दावत

मुकदमा नं. 89/2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु

हाजरी **श्री रामजीलाल चौहान एड0** मिनजानिव मुद्दई श्री

मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी आराजी ख0नं0 2411/1–07 बांके कस्बा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में वादी हिस्सा 4/27 व प्रति0 सं0 2 हिस्सा 19/54 व प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 2412/1–10 बांके कस्बा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/3 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 8/15 तथा प्रति0 सं0 2 हिस्सा 2/15 का विनियम पत्र के मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे व नक्शा अक्श में विनिमय पत्र के मुताबिक तरमीम की जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें।

नीज .... मुबलिग............... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शरह .... सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 01 साल 2017 को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प नरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प दजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनताना वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

इस फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नहीं खर्च ... चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

[तत्का]लीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

किशोरी लाल बनाम सुभाषचन्द

1. किशोरीलाल पुत्र श्री अन्तराम आयु 65 साल जाति वैश्य निवासी कस्बा बाडी तह0 बाडी
वादी :–

बनाम

1. सुभाषचन्द पुत्र बैनीराम उम्र 48 साल जाति वैश्य निवासी मौहल्ला शीशगरान कस्बा बाडी तह0 बाडी
2. पवन कुमार बंसल पुत्र चन्द्रभान बंसल उम्र 36 साल जाति वैश्य निवासी फरसा कालौनी बाडी तह0 बाडी
प्रतिवादीगण :–
3. पवन कुमार मित्तल पुत्र हुब्बलाल मित्तल जाति वैश्य निवासी कमला नगर आगरा जिला आगरा
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तह0 बाडी लैण्ड होल्डर
तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादीयागण के वकील – श्री रामजीलाल चौहान एड0

दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 रा0का0 अधि0

दिनांक :– 23.01.2017

मुकदमा सं. 89/2016

निर्णय

वादी द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :– आराजी ख0नं0 2412/1–10 बांके कस्बा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में स्थि[त] है। जिसमें वादी का 14/30 हिस्सा है, जिसका वादी काबिज खातेदार काश्तकार है त[था] आराजी ख0नं0 2411/1–07 बांके कस्बा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में स्थित है। जिसमें प्रति[0] सं0 2 व 3 वहिस्सा बराबर के हिस्सेदार है। आराजी ख0नं0 2411 में प्रति0 पवन कुम[ार] बंसल ने आराजी में प्राप्त अपने 1/2 हिस्से में से 620.14 वर्गगज भूमि व वादी ने आरा[जी] ख0नं0 2412 में प्राप्त अपने 14/30 हिस्से में से 620.14 वर्गगज भूमि को जरिये विनि[मय] पत्र तारीखी 24.10.2011 को व रजिस्ट्रीशुदा तारीखी 09.11.2011 को वादी ने अपने ख0[नं0] 2412 रकवा 1 बीघा 10 बिस्वा में प्राप्त अपने 14/30 हिस्से में से 620.14 वर्गगज भू[मि] प्रति0 सं0 2 पवन कुमार बंसल ने ख0नं0 2411 रकवा 1 बीघा 07 बिस्वा में प्राप्त अ[पने] 1/3 हिस्से में से 620.14 वर्गगज वादी किशोरीलाल को जरिये विनिमय पत्र दे दी व क[ब्जा] माके पर दोनों फरीकेन ने प्राप्त कर लिया व दोनों फरीकेन अपने अपने हिस्से पर का[बिज] होकर काश्त करते चले आ रहे है। विनिमय पत्र के आधार पर खाते में वादी के नाम इन्द्राज आज तक नहीं हुआ है। इस बावत कई बार पटवारी हल्का व प्रति0 सं0 4 कार्यालय में दरखास्त पेश की। लेकिन अभी तक प्रति0 ने वादी के नाम का अमल खाते में नहीं होने दिया। दावा दायरी से 15 दिवस पूर्व प्रति0 सं0 2 व 3 ने वादी को यह ध[मकी] दी कि वह उपरोक्त आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर देंगे। इसलिए वादी को

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज0

आवश्यक हो गया है कि वह ख0नं0 2411 में प्रति0 सं0 2 के हिस्सा 1/2 में से 620.14 वर्गगज भूमि पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित कराकर इन्द्राज करावे तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द करावे कि वादी के हिस्से व कब्जे की आराजी में प्रति0 किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत पैदा न करें। यदि उपरोक्त विवादित आराजी का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित नहीं किया गया व खातेदारी का इन्द्राज नहीं किया गया तो प्रति0 2 व 3 उपरोक्त आराजी को रहन बय मुन्तकिल कर देंगे जिससे वादी को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं होगी।

इस प्रकार दावा में वादी ने निवेदन किया कि :–

आराजी ख0नं0 2411 रकवा 1 बीघा 07 बिस्वा बांके कस्वा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में प्राप्त प्रति0 सं0 2 पवन कुमार बंसल पुत्र चन्द्रभान बंसल के 1/2 हिस्से में से 620.14 वर्गगज भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जावे व नक्शे में तरमीम की जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 3, 4 अनुपस्थित आये अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 1 व 2 ने उपस्थित न्यायालय आकर इकबाल दावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए वादी का दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की।

वादी द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में Ex 1 असल विनिमय पत्र, Ex 2 नक्शा, Ex 3 नकल जमाबन्दी सं0 2070–73, Ex 4 नकल जमाबन्दी सं0 2070–73 पेश की तथा मौखिक साक्ष्य के रूप में लिखित शपथ पत्र किशोरीलाल का प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात बहस एक पक्षीय वकील वादी सुनी गई। हमने योग्य वकील वादीया द्वारा दिये तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज Ex 1 असल विनिमय पत्र में प्रति0 सं0 2 द्वारा ख0नं0 2411 में प्राप्त अपने हिस्सा 1/2 में से वादी को 620.14 वर्ग गज भूमि का विनिमय किया गया है। इसके अलावा प्रति0 सं0 1 व 2 ने इकबाल दावा प्रस्तुत कर वादी का दावा डिक्री किये जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। इस प्रकार वादी का दावा पूरी तरह सिद्ध है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर वादी का दावा स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख0नं0 2411/1–07 बांके कस्वा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में वादी हिस्सा 4/27 व प्रति0 सं0 2 हिस्सा 19/54 व प्रति0 सं0 3 हिस्सा 1/2 एवं ख0नं0 2412/1–10 बांके कस्वा बाडी नं0 3 तह0 बाडी में वादी हिस्सा 1/3 व प्रति0 सं0 1 हिस्सा 8/15 तथा प्रति0 सं0 2 हिस्सा 2/15 का विनियम पत्र के मुताबिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावे व नक्शा अक्श में विनिमय पत्र के मुताबिक तरमीम की जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें। निर्णय मुताबिक डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तकमीलन दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी

बाडी